

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :- 59/2011



प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राणाराम पुत्र उदाराम
2. गिरधारीराम पुत्र उदाराम
जाति जाट निवासीगण भावी
तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

1. भूराराम पुत्र श्री तेजाराम
2. पारसराम पुत्र श्री तेजाराम
3. ओमाराम पुत्र श्री तेजाराम
जाति जाट निवासी भावी
तहसील बिलाड़ा, जिला
जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 28.06.2017

पत्रावली आज बमुकाम भावी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर में प्रस्तुत हुई। वादीगण गिरधारीराम, गोरधनराम व सोहनलाल उपस्थित वकील वादी द्वारा लम्बे समय तक संशोधित वाद शीर्षक पेश नहीं किया है जो न्यायालय आदेश की अवहेलना की तारीफ में आता है। अतः वादीगण का वाद आदेश की पालना नहीं करने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा